ISSN: 2393-8900 IMPACT FACTOR : 1.9152(UIF) VOLUME - 4 | ISSUE - 10 | JUNE - 2018

HISTORICITY RESEARCH JOURNAL

संविधान की हत्या

डॉ. संतोष रायबोले
हिन्दी विभागाध्यक्ष , कला व वाणिज्य महाविदयालय फोंडाघाट , ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग.

प्रस्तावना :-

मानवाधिकारों से लैस एक अनुपम संविधान रचियेता डा. बाबासाहेब आम्बेडकर जी ने हमें दिया। जिसने तमाम तरह के अवरोधों के बावजूद देश में लोकशाही को आज तक बरकरार रखा। पर आज सारा माहौल संविधान के विरोध में खडा किया जा रहा है। आजादी के समय सबकी आजादी का प्रश्न उठाया गया था बाबासाहब के द्वारा, स्वतंत्रता एक ब्राम्हण का जन्मसिद्ध अधिकार हो सकता है तो एक अछूत का क्यों नहीं? स्वतंत्रता ब्राम्हण की भाँति अछूत का भी जन्मसिद्ध अधिकार है। पर इस अधिकार का हनन किया जा रहा है। कौन क्या खायेगा। क्या पहनेगा। किससे शादी करेगा यह सरकार तय करना चाहती है। इसलिए तो लोगों के 'राइट टू प्रायव्हसी' का प्रश्न सामने आया है। और इन्हें यह ठेकेदारी दी किसने? संविधान के कारण जिनकी एकाधिकारशाही और श्रेष्ठता भंग हो गई उन्हें हर हाल में संविधान की हत्या करनी है।

संविधान रक्षा और संचलन का उत्तरदायित्व जिनपर है वे ही गैरकानूनी संगठनों के द्वारा उसे समाप्त करना चाहते है। खंड ११ स्वतंत्रता के अधिकार में लिखा है कि बेगार को असंवैधानिक मान्यता दी गई पर आज भी देश बुजुर्आ के ग्रामिण इलाकों में बेगार लेना सामंत, जमींदार, वतनदार, बुजुर्आ और ब्राम्हण आदि ब्युरोक्रसी अपना अधिकार समझती है। जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार की सरेआम हत्या की जा रही है। नरेंद्र मोदी भी कहते है कि मैला ढोते समय अलौकिक आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है तो प्रधान सेवक इस अलौकिक आनंदानुभूति को छोडकर प्रधानमंत्री क्यो बनें यह अबुझ पहेली ही है। व्यवस्था के जन्तदाताओंने मैली कर्मसाधना को जितना संभव हो जल्द से जल्द अपना कर अलौकिक आनन्दानुभूति का लाभ उठाना चाहिए। और गुजराथ के उना में जिन अछूतों को मरी हुई गाय की खाल उतारने के धार्मिक जुल्म में सरेआम कपडे उतरकर पिरा गया। वह घृणित और अपमान जनक कर्म तो आपकी व्यवस्था ने ही उनके हिस्से थोपे है। फिर वह अपराधी कैसे?

कानून हाथ में लेकर सरेआम दहशत फैलाने वाले गोभक्तों को यह अधिकार दिया किसने। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते है कि नकली गौ-रक्षकों से देश को खतरा है। इसका दूसरा अर्थ है कि असली गौ-रक्षक देशभक्ति का मौलिक कार्य कर रहे है। सरेआम गुंडागर्दी करनेवालें कानुन की पहूँच से दूर है मसलन यह घटनाएँ सरकार और सनातनी प्रायोजित है। प्रधानमंत्री का यह कहना की अछूतों को मत मारिए मुझपर गोली चलाईये यह कानून और व्यवस्था की लाचारी को दर्शाता है।

खण्ड १७ - धर्म-संबंधी अधिकार से सम्बधित है। जिसमें बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव से जो धर्म - परिवर्तन होगा उसे कानून नहीं स्वीकार करेगा । तो घर वापसी क्या? ओर घर वापसी के प्रलोभन और दबाव किस बात का संकेत है। धार्मिक और जातीय उन्माद भारतीय अखंडता और संप्रभूता के लिए प्रश्न खडा करती है। ये जातियाँ सरासर राष्ट्रद्रोही या राष्ट्र विरोधी हैं। सबसे पहले तो ये इसलिए राष्ट्रविरोधी है क्योंकि ये जातियाँ ही हैं जो सामाजिक जीवन में अलगाव और भेदभाव पैदा करती है। वे इसलिए भी राष्ट्रविरोधी हैं क्योंकि वे जाति-जाति के बीच ईर्षा, घृणा और विद्वेष पनपाती और फैलाती हैं। परन्तु यदि हम पूरी वास्तविकता में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन सारी कठिनाईयों पर विजय तो पाना ही होगा। क्यों कि बन्धुता केवल तभी एक हकिकत बन सकती है जब एक राष्ट्र तो हो बन्धुता के बिना समानता और स्वतंत्रता रंग की पुताई वाली परतों से ज्यादा गहरी नहीं हो सकती। अब्राहम लिंकन ने भलीभाँति कहा है जो घर अपने ही मुकाबले विखन्डित और विभाजित हो जाये वह घर ज्यादा दिनों तक टिकना असम्भव है।

आज भारत की जातीय आँधी इस ओर इशारा करती है कि देश की अपेक्षा जाति की महत्ता अधिक है। साम्प्रदायिकता का जहर जोरो-शोरो पर है। बाबर का बदला जुम्मन मियाँ से लिया जाता है। अखलाख के घर में गो-मांस था इस शक की बीना पर उसकी सामुहिक हत्या की जाती है। सरेआम लव-जिहाद के नाम पर हत्याओं के फोटो स्पेशल मीडिया पर डालें जा रहे है और नेता तो खुलेआम हत्या और

वहशी घटनाओं के समर्थन में बयानबाजी कर रहे है। यह लव-जिहाद का प्रश्न गरीब हिन्दू और मुसलमान को व्यापे है। अमीर, राजनेता और सेलेब्रटी को इससे छुट है। कोई मुसलमान किसी संघी का दामाद बनता है तो कोई हर्ज नही या करीना सैफ अली खान का हाथ थामें तो काई फर्क नहीं पड़ता या उर्मिला मातांडकर कश्मीरी मुस्लीम उदयोगपति के साथ घर बसायें तो क्या कहें। पर यही अगर गांव में होता है तो लव-जिहाद के नाम पर हंगामा खडा किया जाता है। व्यवस्था के नुमाईन्दे यह तय करेंगे कि कौन किससे प्रेम का इजहार करेगा। किससे शादी करेगा। इनके हुकुम मठों और मस्जिदों आदि से निकलता संविधान पर हावी होने की दर्शाता है। देश का विधान कमजोर और पाखंडी संहिताएँ मुख्य भुमिकाएँ निर्वाह करती है।

संविधान की अपेक्षा खाप पंचायत या जात पंचायत का बोलबाला समाज में अधिक है। भारत का वासी भारत में रहते हुए भी बहिस्कृति की यातनाएँ भुगतता है। तरह तरह के कानून और जनजागरण के पश्चात धार्मिक और जातीय हंभ रोटी-बेटी व्यवहार में जातीय कटघरे को तोडना पसंद नहीं करते। अगर कोई यह हिमाकत करता है तो उसका हश्र क्या होगा यह प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक माध्यमों के द्वारा हमने देखा है। अपनी जाति की लडकी अगर जाति को छोडकर विवाह करती है तो उस पर बारी-बारी से बलात्कार करने तक की सजा पंचोने सुनाई है। इसका अर्थ है कि जातीय वैकल्पिक कानून और न्याय व्यवस्था जातियों ने सदियों से संभाली है। जिसमें किसी भी हदतक वे जा सकते है।

मूल अधिकार में समता के अधिकार को स्थापित किया गया है। देश या राज्य किसी नागरीक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई विभेद नही करेगा । पर क्या। कुओं, तालाबों या खानपान में घुआछूत नहीं दिखाई देती। इसका अर्थ संविधान के मूल अधिकार के विरोध में पाखंडी वृत्ति का प्रचलन है। संविधान के धारा १७ के तहत अस्पृश्यता का अंत किया है और उसका किसी भी रुप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। पर आज भी जातियता को बढावा दिया जा रहा है। छूपाछूत के कारण तो रोजाना कई अछूतों को अपने जात-माल और आब्रुका हवन करना पड़ता है। अछूत होने के कारण ही तो फुलन देवी को विवस्त्र गांव में घुमाना और बारी-बारी से बलात्कार को सहना पडता है। यही वारदात अगर किसी उच्च वर्ग की बहू-बेटी के साथ हुई होती तो क्या होता? या खैरलांजी में जो हैवानियत उच्चवर्ग के द्वारा सुरेखा भोतमांगे के साथ परिवार के साथ जो हुआ वह क्या गैर- अछूतों के साथ सम्भव है। दिल्ली के निर्भया के लिए जिने युवा कॅन्डल लेकर रस्ते पर उतरे वे फुलनदेवी, सुरेखा भोतमांगे आदि के लिए क्यों नहीं। निर्भया की घटना देश की सत्ता पश्विर्तीत करती है और कानून भी सक्त करती है। यह पहले क्यों न हो सका।

स्वातंत्र्य का अधिकार वाक् - स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति - स्वातंत्र्य संवैधानिक धारा १९ में है। पर आज मीडिया चमचागिरी करने लगा है, जो भी सरकार और व्यवस्था की आलोचना करेगा या उनकी पक्षधरता का खण्डन करेगा उनपर फर्जी मुकदमें दायर किये जाते है। महाराष्ट्र में कबीर कला मंच के साथ यही किया गया। अंधश्रद्धा निर्मूलन और प्रगतिशील विचारकों की हत्याएँ इसी को जाहिर करती है। भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, निवास करने और बस जाने का अधिकार मराठी अस्मिता के नाम पर दरकिनार किया जा रहा है। यह चित्र संघराज्यीय ढाँचे को छति पहूँचाता है। देश कि अपेक्षा क्षत्रियता का बोलबाला और सियासत समूये भारत का रोना है। उपाधियों का अंत धारा १८ में किया गया है। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सन्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। पर धर्म - जाति-भाषा - प्रदेशों आदि के नाम पर उपाधियों को सरेआम उछालकर डर और हिंसा का माहौल तैयार किया जा रहा है।

शिक्षा का अधिकार धारा २१ - क में है। राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसी प्रकार की रीति से जैसा राज्य विधि अनुसार अवधारित कर सकेगा, की व्यवस्था करेगा पर आज शिक्षा के मौलिक अधिकार को समाप्त करने की पहल की जा रही है। देश और राज्यों के शिक्षा बजट कटौती इस बात को प्रमाणित करती है। आरभ्भिक शिक्षा से उच्चशिक्षा मुहय्या कराना सरकार की प्राथमिकता है पर सरकारी पाठशालाओं को साजिश के तहत बंद किया जा रहा है। महाराष्ट्र में ऐसी १३००/- पाठशालाएँ बन्द करने की फिराक में सरकार है। उत्तर प्रदेश में ९०% शिक्षा बजट को कम किया गया है। छात्रों की छात्रवृत्ति कम या समाप्त की जा रही है। उच्चशिक्षा संस्थानों में विद्यार्थीयों को मिलने वाला वजिफा बन्द किया जा रहा है। शिक्षा के मौलिक अधिकार हनन और प्रताडना - उत्पीउन का शिकार ही रोहित वेमुला है। शिक्षा के मौलिक अधिकार का बाजार बनाया जा रहा है। शिक्षा को कंपनियों को बहाल किया जा रहा है। अंबानी-अदानी-पतंजली शिक्षा का व्यापार करेगी कल को अगर सरकार बरखास्त करके यही देश चलाये तो हैरत न हो।

राज्य लोककल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रणित करे, भरसक प्रभावी रुप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा पर क्या आज यह प्रासंगिक है। लोककल्याण की अपेक्षा स्वार्थ सिद्धि का प्रयास अधिक हो रहा है। सामाजिक अलगाव आर्थिक उत्पीडन और अन्याय कि व्यवस्था देश में संचलित है। असुरक्षा का भाव जनता में है। अवसरों की समानता को समाप्त किया जा रहा है। स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए पर वेतन में भेद है। निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करना सरकार का काम है। न्याय सुलभ हों। किसी भी कारण नागरिक न्याय प्राप्त करणे के अवसर से वंचित न रह जाए। यहां तो कितने मुकदमें सालों से लंबीत है। न्याय तो सत्ता और व्यवस्था की तुती बोलती है।

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और पिकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढापा और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। राज्य अगर प्रतिबद्धता से

यह काम करता तो नये रोजगार तैयार किये जाते पर जो है उन्हें भी कैची लगाई जा रही है। दो करोड युवाओं को सालाना रोजगार तो केवल चुनावी जुमला साबित हुआ। शिक्षा का निजिकरण तो सर्वश्रृत है। बेकारों की फौज तो दिनों-दिन बढती जा रही है। न नौकरी न बेकारी भत्ता ऐसी दसा है। बुढे और विकलांग लोगों को भिखारी बनना ही एक रास्ता बचा है। कमजोर तबकों के तरक्की हेतु बनाये गये सभी मण्डलों का अनुदान धिरे-धिरे खत्म किया जा रहा है। महाराष्ट्र में महात्मा फुले, अन्नाभाऊ साठे आदि महामण्डलों की अर्थ कटौती की गई है। इनका पैसा अन्यों को बाँटा जा रहा है। धारा ४६ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा जिसमें शिक्षा, रोजगार और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। आज शिक्षा, नौकरी और प्रन्नोति के प्रतिनिधित्व को खत्म किया जा रहा है।

मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों पर रोक थाम का प्रावधान धारा ४७ में है पर विडम्बना यह है कि पाठशाला नॉनग्रँट और शराब हे अड्डे ग्रॅन्टेड है। अस्पतालों की अपेक्षा बियरबारों की संख्या अधिक है। हुक्का पार्लर और नुमाईश की दवाओं का बोलबाला है। संवैधानिक धारा ४८ पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा को अहमियत देता है पर कॉन्क्रिट का जंगल बिछाने के लिए पर्यावरण का हनन किया जा रहा है। वन्य जीवों की शिकार से उन्हें समाप्त किया जा रहा है। धारा ४९ राष्ट्रीय महत्त्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी है पर सरकार के चलेचपाटे हि विद्वेश भाव से इसे समाप्त कर रहे है। त्रिपुरा में लेनिन की मुर्ति जेसीपी लगाकर संघीयों ने तोडी। तामिलनाड में पेरियार और देश के कई हिस्सों में बाबासाहब आम्बेडकर की मुर्तियों कि अवमानना सरकार और व्यवस्था प्रायोजित है।

शांती और सुरक्षा की धज्जियाँ तो ग्रोध्रा से लेकर भिमा कोरेगाव तक उडते हुए हमने देखी है। हाफिज सईदवादी वृत्ति के मनोहर भिडे, मिलींद एकबोटे जैसी प्रवृत्तियां इतिहास को सनातनता का चस्मा प्रदान करणे की असफल चेष्ठा करते हुए सांप्रदायिक दंगे और आगजनी का खौंम समाज में फैलाते है और सरकार इनका कुछ भी बिगाड नहीं सकती। यह सरासर कानून और व्यवस्था का निकम्मापन है। ऐसे असामाजिक तत्वों के कारण ही भारत भाईचारे से परे है। ॲक्ट्रासिटी जैसे कानून को कमजोर करनेवाला सुप्रिम कोर्ट का फैसला शोषकों को अन्याय-अत्याचार का लायसेंस देता है। फिर शांती और सुरक्षा कैसी संभव है।

सन्दर्भ :-

गायकवाड प्रदीप, (संपादक) भारत का संविधान, समता प्रकाशन
दीक्षाभुमि सन्देश डा. आम्बेडकर ओव्हर ब्रीज, लस्करीबाग, नागपुर, ४४००१७